प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा।

सेवा में,

प्रबंधक,
शान्ती धाम, अतर्रा
क्षेत्र नरैनी बाँदा

पत्रांक–प्रा0मा0/3409-11/2007–08 दिनांक 23/8/07

विषय– प्राइमरी स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा आवेदित मान्यता विषयक आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय निरीक्षक की स्थलीय जांच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21-8-07 में लिए गये निर्णय के अनुसार शिक्षा अनुभाग (6) द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं0 1873/15–6–98–18 एस0–(7) /89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके प्राथमिक विद्यालय को शिक्षा सत्र 1 जुलाई, 2007 से 3 वर्ष की अवधि 30 जून, 2010 तक के लिए निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है। इस अवधि में स्थाई मान्यता के लिए आवेदित करना आवश्यक है।

1. राजाज्ञा सं0 1091/15–6–9 (7) /73 दिनांक 25–3–1975 में प्राविधानित नियमों के आलोक में छात्रों से निर्धारित शुल्क लिया जाना भी अनुमन्य है, साथ ही शिक्षा संहिता की धारा 106 से 116 में प्राविधानित नियमानुसार निर्बल वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये।
2. विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से ही अध्यापन कराया जाये। शिक्षण का माध्यम हिन्दी भाषा होगी।
3. उपरोक्त वर्णित मान्यता की अवधि के अन्तर्गत स्थाई मान्यता की सभी शर्तों को पूर्ण कर स्थायी मान्यता कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षकों से अध्यापन न कराया जाये तथा निर्धारित पाठ्यक्रम ही विद्यालय में लागू किया जाये।
5. विद्यालय प्रवन्ध समिति के नवीनीकरण की सूचना समय–समय पर कार्यालय को देना होगा।
6. बिना विभागीय अनुमति के किसी शिक्षक/कर्मचारी को निष्कासित/निलम्बित न किया जाये।
7. सुरक्षित एवं प्राभूत कोष नियमानुसार 1000/–रू0 तथा 2500/–रू0 जमा रहना अनिवार्य है।
8. विभाग द्वारा निर्गत निर्देश/आदेशों का अनुपालन न करने की दशा में प्रदत्त मान्यता के प्रत्याहरण करने का अधिकार जिला मान्यता समिति का होगा।

भवदीय

(जीवेन्द्र सिंह ऐरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

पृ0 सं0/प्रा0मा0/ /2007–08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, बांदा।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र नरैनी बांदा।

(जीवेन्द्र सिंह ऐरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

PRINCIPAL
SHANTI DHAM SR. SEC. SCHOOL

MANAGER
SHANTI DHAM SR. SEC. SCHOOL
ATARRA

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

सेवा मे,

प्रबन्धक
शांती धाम स्कूल
अतर्रा . बांदा

पत्रांक / अस्थाई मान्यता / 9028-31 / 2009-10 दिनांक 31-3-10

विषय– अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर कक्षा 6 से 8 तक की अस्थाई मान्यता निर्गत करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15–06–97–18एस(7)/89दिनांक– 13.08.1997 मे दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 27-03-2010 मे लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक की अस्थाई मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश मे निहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पद अनुमान्य होगे।

1–	प्रधानाध्यापक	–	एक
2–	सहायक अध्यापक	–	चार
3–	लिपिक	–	एक
4–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	एक

उक्त जनशक्ति मे विज्ञान /त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेगे। शासकीय/विभागीय आदेशो का पालन न करने की स्थिति मे मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय

(ओंकार राणा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

पृ0सं0 एवं तद दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल
2. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बांदा
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नरैनी
4. कार्यालय पत्रावली

भवदीय

(ओंकार राणा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा

PRINCIPAL
SHANTI DHAM SR. SEC. SCHOOL
ATARRA

MANAGER
SHANTI DHAM SR. SEC. SCHOOL
ATARRA

Scanned with CamScanner